



इलाहाबाद विकास ग्राधिकरण  
गृह निर्माणस्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 2020 तक नारे निकोड़ा द्वारा लिखता अधिनियम 1973 के द्वारा 4 व 15 के अन्तर्गत दी गयी है, जिसु अर्थ क्षेत्र में इसना हिते कि उस पुणि के संबंध में जिस 4 व 15 कान जने वाले किसी कार या किसी व्यापारी नियम या इसके स्वातंत्र्य अद्वितीय वा व्यापिअथवा फौज के गविलान अटिकारों पर किसी वाले अर्द्ध-प्रभुता वाले अनुमति दिलाए जाना चाहिए।

निनालिखित श्रेष्ठतम्यों के बाद रवि उन्नति ही जरूरी है कि विनामो / शिक्षा और सुधार के लकड़ीय अवसरों पर ध्यान दें।

कला ए. ए. ए. स्टोर्जिंग 25 प्राप्ति का नया लॉ विकास 23

A circular library stamp with a decorative border containing the text "STATE LIBRARY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY AUSTRALIA". The center of the stamp contains the date "20 JUNE 1978".

८१ ३२.६.१०  
मुख्यमंत्री  
हिंदू विकास प्रशिक्षण  
हिंदू विकास

ନେଟ୍ ଏ ଅରିହା କାମିକ୍ଷାକୀ ଦ୍ୱାରେ — ଶୈଳୁ

१. यह स्थिरता पर केवल पांच तरीं लो अवधि के होते हैं यदि भवन जा निपटने स्थिरता अवधि के बाहर नहीं किया जाता है तो उसे निपटा जा सकता है। निपटा दूरी व्यय भव ग्राही पर होता है तो लोड शुरू कर विना गति विप्रवास प्रारंभिकरण की अनुरूपता प्राप्त किये जिम्मेदार अवधि पुनः जिम्मेदार होती है तब्दे 'विना गति' को लोड डिल जायेगा अब इस प्राप्ति की यह अवधिनेपाल की घटा २७ के अन्तर्गत दफ्तरी दोगा दूरी स्थिर विना गति प्रारंभिकरण इस दूरा दिया जायेगा और उसके बढ़ २ के लिए का भव उस दूरता बनाने ताते से १० गतियां समझूके के बाद बदल दिया जायेगा।

2. इस अनुमिति-पत्र के लकड़ा, गली या गाड़ी पर बढ़ा कर बांजेवासन तैयार किए जाने वाले अवासन सुनोरो निपटा कर लोडकर उस ऊपर लिह देने वाले विमाण की तर्ज़ की वाहनी वहाँ उसके आसा नववीं ग्रंथिरार्थी की ओर से होगी।

3. विकास नियंत्रण से यदि नाली के सहक ली पट्टी अथवा रुक्क गा नाली के किनारे पर, जो गला के आवाह पैद़ीहां अथवा उसके आवाह के कारण रुक्क गई हो; को हालें पढ़े हो हृत्कामणी हैंगर तो नाली पर 15 हिंा के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण दे एक हिंसित स्फून द्वारा और शीतल कला तो पढ़ते हैं उसे ऐसे रुक्क तो महस्तक उत्तमतर उच्चतर उत्तमतर जिरारो विकास प्राधिकरण को सांचों को जाप, मैं कर देणा।

५. यह निर्णय के साथ इसलाल भी द्वारा रखना होगा तिथि भारतीय शिक्षा आकादेमिक १९५६-५७वर्ष इलेक्ट्रोस्टी रल्स १९६५) निम्ना ८२ का अद्वेपन लिंगी भी देश में न होना चाहिए। यदि देशास प्राधिकरण की जलवायी में ऐसे दोनों पाये गये हो तो यह ऐसे निर्णय को रोक लाया द्वारा सज्जा है।

5. ग्रामीणों को नियमनुसार तिलात ग्रामियाशरण की स्थानता ही नींग बढ़ा तथा उत्तर वर्ष जाने पर्यंत इसके एर्टी ही शाने की सुनाना मवान आवाद होने से पूर्ण रैंग होता तथा उत्तर ऊर्ध्वानी का नाम भी देना होता तिसके नियोजन गैरक नियमित हुआ है।

6. यदि निम्नां में सास्टर स्प्राइ का उल्लंघन होता पाय गय तो उपर्युक्तां के सी रुप स्टीचूट द्वारा शगड़ी जायेंगी और किया जाय निम्नां अनाईकूट व्योगित कर उसे उपर्युक्त द्वारा 27(1) के अन्तर्गत कार्रवाते जारखा जायेगी।

卷之三

